उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-242/2018/ 3091/71-1-2018-जी-195/2015 टी०सी०

लखनऊ: दिनांक : 18 सितम्बर, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/1353, दिनांक 10-09-2018 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल 04 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-2018-जी0-63/2008, दिनांक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-2013-जी0-11/2011, दिनांक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी0-63/2008, दिनांक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/ तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

1- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगे।
2- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे
3- मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगें।
5- निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6- स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
7- संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे।

3- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 22-01-2015 में प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।

4- संविदा पर तैनात किये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मुकेश कुमार मेश्राम
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-242/2018/3091/ (1) 71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज,सहारनपुर।

4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, सहारनपुर ।

5- कोषाधिकारी, बदायूँ, सहारनपुर।

6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सक।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-242/2018/3091/71-1-2018- जी-195/2015टी0सी0

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	नियुक्ति हेतु प्रस्तावित मेडिकल कालेज का नाम
1.	फिजियोलॉजी (आचार्य)	डा0 रमीता रहेजा पत्नी श्री डा0 रमन रहेजा, पता-03, भगतिंसह नगर, बरवाला रोड , डेरा, बस्ती , पंजाब।	सामान्य	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
2.	माइक्रोबायोलॉजी (आचार्य)	डा0 विनोद कुमार नारंग पुत्र श्री तारा चन्द्र पता-म0न0-55, फेस-2, मजीथिया एनक्लेव नियर 24 रेलवे फाटक, पटियाला, पंजाब-147001	सामान्य	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
3.	पीडियाट्रिक (आचार्य)	डा0 प्रभात शोभा नारंग पुत्र श्री डा0 विनोद कुमार नारंग, पता- म0न0-55, फेस-2, मजीथिया एनक्लेव नियर 24 रेलवे फाटक, पटियाला, पंजाब-147001	सामान्य	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
4.	बायोकैमिस्ट्री (आचार्य)	डा0 कुलदीप सिंह सोडी पुत्र श्री हरि सिंह सोडी, पता-14 सी0एस0सी0एफ0 रंजीत अवेन्यू अमृतसर,पंजांब-143001	सामान्य	मेडिकल कालेज, सहारनपुर

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।